संख्या–469 /VI/2004–49पर्य/2003

प्रेषक,

ए0 के घोष,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक, पर्यटन,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 19 जुलाई, 2004

विषयः– वीर सैनिक ग्राम गौरव समारोह थराली, चमोली एवं पौड़ी ग्रीष्मोत्सव हेतु विशेष अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, पौडी गढ़वाल के पत्रांक–134 दिनांक 05–06–2004 एवं महामंत्री पूर्व सैनिक सेवा परिषद, उत्तरांचल के पत्र दिनांक 25–05–2004 (छायाप्रतियॉ संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वीर सैनिक ग्राम गौरव समारोह थराली, चमोली एवं पौड़ी ग्रीष्ममोत्सव हेतु विशेष अनुदान के रूप में कमशः रू0 5,000 हजार एवं रूपये 3.00 लाख अर्थात कुल रू0 3.05 लाख (रूपये तीन लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल व उपजिलाधिकारी थराली ~~कर्णप्रयाग~~ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश दिनांक 26 अप्रैल 2004 द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता हेतु स्वीकृत आयोजनागत पक्ष के मदों से व्यय किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन व्यय किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तुपुस्तिका को नियमों या अन्य आदेशो के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में तिमतव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशो को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यदि स्वीकृत धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– ग्रीष्मोत्सव पौड़ी गढ़वाल हेतु स्वीकृत विशेष अनुदान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि इस अनुदान की कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि स्थायी परिसम्पत्तियों के कय पर किया जायेगा। जिससे मेले को

भविष्य में स्वनिर्भर बनाये जा सके व शासन से तद्नुसार अनुदान को कम किया जा सके।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इसके अतिरिक्त मेले से होने वाले आय का विवरण व स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण भी यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्ही मदों पर व्यय किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7– यह अनुदान इस वर्ष विशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है अतः इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त नही माना जायेगा एवं न ही भविष्य में इस आधार पर अनुदान की मांग की जायेगी ।

भवदीय

(ए0 के घोष)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– –(1)VI/2004–49 पर्य0/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, पौडी/चमोली।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
6– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
7– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

17/7/04

(ए0 के0 घोष)
अपर सचिव